कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 298011 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक– 1343 दिनांक– 30-05-2023.

सेवा में,

श्री देवेन्द्र प्रसाद,
परियोजना पदाधिकारी,
आम्रपाली परियोजना, होन्हे, टण्डवा।

विषयः– चतरा जिला अन्तर्गत आम्रपाली खुली खदान कोल परियोजना फेज–II हेतु 431.59 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, न्यू दिल्ली का पत्र संख्या– 8-48/2008-FC-(Vol)/40855/2023 दिनांक अप्रिल 2023 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक 1064 दिनांक 08.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में आपने अपने पत्रांक PO/Amrapali OC/Forest/Compliance/2023-24/337 दिनांक 19.05.2023 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है। समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकनोंपरांत कतिपय त्रुटियाँ एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं है जो निम्नवत है–

1. पृच्छा संख्या– 1 के अनुपालन में विषयगत परियोजना में पूर्व से निर्मित पथ का गुगल इमेजरी 2012 एवं 2022 का संलग्न है परन्तु उसका अक्षांश एवं देशांतर अंकित नहीं है, अंकित किया जाय।
2. पृच्छा संख्या– 2 के अनुपालन में होन्हे से सरादु तक पथ निर्माण 13.70 हे0 वन भूमि प्रस्ताव को आपके द्वारा Withdrawal कर लिया गया है परन्तु पथ का उपयोग किया जा रहा है या नहीं के संबंध में कोई साक्ष्य एवं अभिलेख संलग्न नहीं है। साथ ही उक्त पथ में केवल 1.05 हे0 ही उल्लंघन हुआ है के संबंध में भी कोई साक्ष्य एवं अभिलेख संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाय।
3. पृच्छा संख्या– 3 के अनुपालन में उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत 651.16 हे0 वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र में चार परियोजना शामिल है जिसे परियोजनावार रकबा दर्शाते हुए स्पष्ट किया जाना है जो नहीं किया गया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
4. पृच्छा संख्या– 4 के अनुपालन में उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र जिसमें चार परियोजना सम्मितिलत है का परियोजनावार के.एम.एल. फाईल संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाया। साथ ही वनाधिकार अधिनियम हेतु 651.16 हे0 रकबा का परियोजनावार अलग–अलग दर्शाते हुए अनुपालन में उल्लेख किया गया है परन्तु तीन परियोजनाओं का क्रमशः मगध ओ.सी.पी.–115.51 हे0, एन.बी.सी.सी. रोड– 28.07 हे0 एवं रेलवे साईडिंग परियोजना– 75.99 हे0 का उल्लेख किया गया है जो परियोजनावार वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा से मैच नहीं कर रहा है। तीनों में विरोधाभाषी है। इसे स्पष्ट किया जाय।
5. पृच्छा संख्या– 5 के अनुपालन में 531.64 हे0 अपयोजित वन भूमि में Maintained safety zone area के संबंध में स्पष्ट Justification देना है, जिसका कोई स्पष्ट उल्लेख नही है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न हैं।
6. पृच्छा संख्या–6 के अनुपालन में पूर्व में प्रस्तावित 531.64 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रभावित safety zone area 4.5 हे0 का NPV की राशि जमा करने हेतु अनुरोध पत्र संलग्न है, परन्तु राशि जमा करने से संबंधित साक्ष्य एवं अभिलेख संलग्न नही है संलग्न किया जाय।

CamScanner

पृच्छा संख्या–9 के अनुलापन में रिलीज फौरेस्ट लैण्ड 535.48 हे0 में सन्निहित 531.64 हे0 वन भूमि तो रिलीज है परन्तु इस परियोजना में 3.84 हे0 गैर वन भूमि प्रस्तावित ही नहीं था तब रिलीज किस आधार पर हुआ है, स्पष्ट किया जाय।

3. पृच्छा संख्या– 10 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल पर कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं से संबंधित विवरणी का उल्लेख है जो पूर्णतः स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें से 351.03 हे0 क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल क्षतिपूरक वनरोपण युक्त नहीं होने के कारण उसके स्थान पर परिवर्तित स्थल में क्षतिपूरक वनरोपण किया गया था जो चतरा उत्तरी वन प्रमंडल में कराया गया है जिसका उल्लेख नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

अतः उल्लेखित त्रुटियों एवं आवश्यक अभिलेख अनुपालन प्रतिवेदन में नहीं संलग्न होने के कारण सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन,

30/5/23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

CamScanner